**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय**

**कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्‍याण विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 340**

**20 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: किसानों को फसल कटाई प्रयोगों के लाभ**

**340. श्री संजय सिंहः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिकांश राज्यों ने प्रीमियम की अपनी सब्सिडी का भुगतान समय पर नहीं किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2016 से जिन राज्यों ने फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) संपन्न किए है और उनके आंकड़े बीमा कंपनियों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक फसल के लिए प्रत्येक गांव पंचायत में फसल कटाई प्रयोग करने पर कितना औसत व्यय हुआ है; और

(ग) फसल कटाई प्रयोग किस प्रकार किसानों की सहायता करते हैं और आज तक इनसे कितने किसानों को लाभ हुआ है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)**

**(क):** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कार्यान्‍वित करने वाली बीमा कम्‍पनियों को अपफ्रंट प्रीमियम सब्‍सिडी दी जाती है जिसमें केंद्र एवं संबंधित राज्‍य सरकार का बराबर अंशदान होता है। विभिन्‍न गतिविधियों को पूरा करने के लिए इस स्‍कीम में समय-सीमा दी जाती है जिसमें केंद्र एवं राज्‍य सरकार द्वारा सब्‍सिडी का भुगतान भी शामिल है। तथापि, विभिन्‍न राज्‍य जैसे- बिहार, पश्‍चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, केरल, झारखंड, मध्‍य प्रदेश आदि ने वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान एक या एक से अधिक कृषि मौसमों में बीमा कंपनी को प्रीमियम का अपना अंशदान का भुगतान करने में काफी विलंब किया है जिसके कारण इन राज्‍यों में दावों का निपटान करने में विलंब हुआ है।

**(ख) एवं (ग):** इस स्‍कीम के प्रावधानों के अनुसार फसल कटाई परीक्षणों (सीसीई) से प्राप्‍त पैदावार के आंकड़े संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा संबंधित बीमा कंपनियों को किसानों के दावों का भुगतान करने के लिए और समीक्षा करने के लिए भेजे जाते है। तथापि, सभी कार्यान्‍वित करने वाले राज्‍यों से इस स्‍कीम के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित संख्‍या में सीसीई करने की अपेक्षा की जाती है। ये सीसीई आमतौर पर विभिन्‍न विभागों अर्थात राजस्‍व विभाग, कृषि विभाग, संबंधित राज्‍य का अर्थ एवं सांख्‍यिकी निदेशालय द्वारा व्‍यक्‍तिगत तौर पर और/या एक दूसरे के साथ मिलकर विभागीय स्‍तर पर किए जाते हैं। कुछ राज्‍य सीसीई को आऊटसोर्स से कराते हैं। क्‍योंकि अधिकांश राज्‍य सीसीई अपने विभागीय कार्मिकों द्वारा विभागीय स्‍तर पर आयोजित करा रहे है, इसलिए राज्‍यों द्वारा कराए गए व्‍यय का आकलन उपलब्‍ध नहीं होता है। तथापि, महालनोविस राष्‍ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्‍द्र (एमएनसीएफसी) ने वर्ष 2015-16 के दौरान उपग्रह प्रौद्योगिकी तथा भू सूचना परियोजना का उपयोग करते हूए किसान फसल बीमा के लिए सीसीई आयोजित किए थे जिसके लिए, बोली प्रक्रिया के माध्‍यम से 640 रू. प्रति सीसीई की दर स्‍वीकार की गई। उक्‍त दर को मानते हुए, प्रति ग्राम/ग्राम पंचायत के लिए 4 सीसीई प्रति फसल करने के पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के अनुसार लागत 2560/-रू. आती है।

इस स्‍कीम के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान कवर किए गए 572 लाख कुल किसानों में से सीसीई के आंकड़ों के आधार पर 135 लाख किसानों के दावो का भुगतान किया गया।

\*\*\*\*\*